रजिस्ट्री सं. डी.—(डी एन)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 25, 1985 (ज्येष्ठ 4, 1907)
No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 25, 1985 (JYAISTHA 4, 1907)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	431
भाग I—खंड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	647
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	709
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खंड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खंड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	17317
भाग III—खंड 2—पेटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	445
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	—
भाग III—खंड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1233
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	89
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़े को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGES
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	431
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	647
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	709
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, byo-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—Sub-Sec. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) on General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railways Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	17317
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta	445
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners ..	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ..	1233
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	89
PART V—Supplement showing statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

*Follow Nos. not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Codrt]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 मई 1985

सं० 54-प्रेज/85—राष्ट्रपति, बिहार पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उन की वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारियों के नाम तथा पद :

श्री नरेश मोहन झा,
पुलिस सार्जेन्ट,
पुलिस लाईन्स,
पटना।

श्री अरुण कुमार सिंह,
पुलिस सार्जेन्ट,
पुलिस लाईन्स,
पटना।

श्री सुरेन्द्र तिवारी,
हवलदार,
यातायात पुलिस,
पटना।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया :

24 अप्रैल, 1984 को लक्ष्मी कमर्शियल बैंक, एग्जीबिशन रोड, पटना टाऊन के श्री योगेन्द्र प्रसाद, अपने काउन्टर पर जब अपने लेखों और रोकड़ का हिसाब देख रहे थे, तो अचानक उनके सामने एक अज्ञात व्यक्ति आया और रिवाल्वर दिखा कर धन मांगा। इसी बीच मैसर्स नरेन्द्रपेपर्स का एक व्यक्ति श्री शांति कुमार बैंक में 13,200 रुपये की धन राशि जमा करने आया। अपराधी ने बैंक काउन्टर से 19,676 रुपये और श्री शांतिकुमार से 13,200 रुपये की धनराशि छीनी और रिवाल्वर दिखाते हुए भाग गया। उसके तीन साथी भी भाग गए। चीख पुकार सुनकर श्री नरेश मोहन झा, सार्जेन्ट, जो अपने साथी श्री अरुण कुमार, सार्जेन्ट के साथ उस ओर अपने निजी काम से आए थे, ने भागते हुए सशस्त्र अपराधी का तेजी से पीछा किया। श्री सुरेन्द्र तिवारी, हवलदार, जो उस समय यातायात ड्यूटी पर थे, से दोनों सार्जेन्टों ने अपने साथ चलने और सहायता करने के लिए कहा। अपराधी ने पुलिस कार्मिकों को रिवाल्वर दिखाकर धमकी दी लेकिन वे उसका पीछा करते रहे। अपराधी ने कई बार उनकी तरफ गोलियां चलाईं, लेकिन उनको कोई चोट नहीं आई और बच गए। इसके बाद अपराधी एक निर्माणाधीन बहुमंजिली इमारत में घुस गया और पुलिस कार्मिकों को फिर धमकी दी। पुलिस कर्मचारियों ने अपराधी पर युक्तिपूर्वक काबू पा लिया और उसको निःशस्त्र कर दिया। तत्पश्चात् अपराधी को गांधी मैदान पुलिस को सौंप दिया गया। उससे चालू कारतूसों सहित एक 12 बोर की बन्दूक, एक देशी रिवाल्वर, एक निष्प्रभावी बम, एक लेम्बी स्कूटर और लूटा गया सारा धन बरामद किया गया।

श्री नरेश मोहन झा, पुलिस सार्जेन्ट, श्री अरुण कुमार सिंह, पुलिस सार्जेन्ट और श्री सुरेन्द्र तिवारी, हवलदार, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 24 अप्रैल, 1984 से दिया जायेगा।

सं० 55-प्रेज/85—राष्ट्रपति, पश्चिम बंगाल पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम तथा पद :

श्री निधिर कुमार पाण्डेय, (मरणोपरान्त)
सहायक उप-निरीक्षक,
पश्चिमी दिनाजपुर,
पश्चिम बंगाल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया :

10 नवम्बर, 1981 को बैलूर घाट के कुछ गुण्डे निजी स्वार्थ सिद्धी के लिए कस्बे में अव्यवस्था तथा गड़बड़ पैदा करना चाहते थे। उन्होंने गौरी फर्नीचर के नजदीक सड़क पर एक रुकावट खड़ी कर के एक अफवाह फैलाई जिसका कोई आधार नहीं था कि पुलिस की जीप ने एक महिला को कुचल डाला है। एस० डी० ओ०, बैलूर घाट तथा स्थानीय पुलिस अधिकारी सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए घटना स्थल पर गए। उन्होंने भीड़ से चले जाने का आग्रह किया परन्तु उनकी कोशिशों का कोई परिणाम नहीं निकला। भीड़ को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। इसके पश्चात्, श्री निधिर कुमार पाण्डेय, सहायक उप-निरीक्षक, ने पुलिस की एक टुकड़ी के साथ रुकावट को हटाना शुरू कर दिया। एक गुण्डे ने छैनी लेकर धमकी देते हुए पुलिस दल पर आक्रमण किया। श्री पाण्डेय ने अपने आदमी के आक्रमण में न बचने की संभावना को देखते हुए, गुण्डे को रोका तथा उसे निःशस्त्र करने की कोशिश की। गुण्डा श्री पाण्डे पर झपटा और छैनी से उनकी छाती पर वार किए जिससे उनकी पसलियां टूट गईं और फेफड़े फट गए। उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी, और गुण्डे को काबू में कर लिया। चार दिन बाद श्री पाण्डेय की बैलूर घाट अस्पताल में मृत्यु हो गई।

श्री निधिर कुमार पाण्डेय, सहायक उप-निरीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप, नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 10 नवम्बर, 1981 से दिया जाएगा।

सं० 56-प्रेज/85—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम तथा पद :

श्री जसवन्त सिंह, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल सं० 4153,
पी० आर० पी०,
मुरादाबाद।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

5 मार्च, 1983, को जी० आर० पी० के श्री जसवन्त सिंह, कांस्टेबल, और श्री राजकुमार, कांस्टेबल, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी पर थे। विजयनगर, गाजियाबाद के निवासी अनिल कुमार तथा संजय कुमार नामक दो व्यक्तियों ने गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर श्री अब्बास पर हाकी स्टिकों से अचानक हमला किया। चीख पुकार सुनकर कांस्टेबल तुरन्त घटनास्थल पर गये और अपराधियों को ललकारा। अवसर मिलने पर श्री अब्बास घटनास्थल से खिसक गये, परन्तु अपराधियों ने उनका पीछा किया और हत्या करने की धमकी दी। निःशस्त्र कांस्टेबलों ने अपराधियों का पीछा किया और कांस्टेबल जसवन्त सिंह ने अपराधी संजय कुमार को पकड़ लिया। संजय कुमार ने सहायता के लिए पुकार की और अपने साथी से कांस्टेबल की हत्या करने के लिए कहा। श्री अनिलकुमार ने उसके कहने के अनुसार श्री जसवन्त सिंह के पेट में छुरा घोंप दिया जिससे अभियुक्त संजय पर उनकी पकड़ ढीली पड़ गयी थी। इसी बीच दूसरा कांस्टेबल राजकुमार वहां पहुंच गया और अभियुक्त संजय कुमार को काबू में कर लिया। दूसरा अभियुक्त अनिल कुमार बचकर भाग गया। कांस्टेबल जसवन्त सिंह को जिला अस्पताल, गाजियाबाद ले जाया गया और बाद में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, में ले जाया गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गयी।

श्री जसवन्त सिंह, कांस्टेबल, ने उत्कृष्ट वीरता, अनुकरणीय साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 5 मार्च, 1983 से दिया जाए।

मु० नीलकण्ठन
राष्ट्रपति का उपसचिव

पर्यावरण और वन मंत्रालय

(पर्यावरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 अप्रैल 1985

संकल्प

विषय : दून घाटी तथा गंगा और यमुना के सन्निकट जलसम्भरण क्षेत्रों के लिए बोर्ड का पुनर्गठन।

सं० एल०-14015/11/85-इन्वा०-5—दून घाटी तथा गंगा और यमुना के सन्निकट जलसम्भरण क्षेत्रों के लिए बोर्ड के गठन के क्रम में विकासात्मक पैकेज का अध्ययन एवं पुनरीक्षण करना तथा अल्पतम पर्यावरणीय निम्नीकरण के द्वारा दीर्घकालीन विकास प्राप्त करने हेतु पर्यावरणीय प्रबन्ध हेतु मार्ग-दर्शी सिद्धान्तों का सुझाव के लिए दिनांक 1 अगस्त, 1981 के संकल्प सं० 2/19/81-एन० सी० टी०/इन्वा० के सहत निम्नलिखित विचारणीय विषय के साथ बोर्ड का पुनर्गठन किया जा रहा है :—

(i) इस क्षेत्र में प्रस्तावित विकासात्मक परियोजनाओं के पैकेज का अध्ययन एवं पुनरीक्षण करना और पर्यावरणीय प्रबन्ध के लिए मार्गदर्शन की व्यवस्था करना ताकि क्षेत्रीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग किया जा सके;

(ii) और अधिक पर्यावरणीय निम्नीकरण को रोकने के लिए तथा पर्यावरण में सुधार के लिए अल्पकालात्मक/सुधारात्मक उपाय निष्पादित करने हेतु एक प्रभावशाली कार्यान्वयन क्रियाविधि का विकास करना;

(iii) प्रदूषक उद्योगों के छितराव के लिए मार्ग-प्रदर्शन करना तथा अप्रदूषक उद्योगों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन का सुझाव देना;

(iv) दून घाटी सहित सन्निकट जलसम्भरण क्षेत्रों के दीर्घकालीन विकास के लिए एक सुस्पष्ट कौशल प्रतिपादित करना तथा कार्यान्वित करना; और

(v) अल्पतम पर्यावरणीय निम्नीकरण के साथ दीर्घकालीन विकास प्राप्त करने के लिए अन्य कोई विषय जिसे बोर्ड स्वीकार करता हो।

बोर्ड का गठन निम्न प्रकार से होगा :—

1.	श्री वीर सेन पर्यावरण और वन राज्य मंत्री	अध्यक्ष
2.	श्री सी० बी० वोहरा अध्यक्ष, ऊर्जा सलाहकार बोर्ड	सदस्य
3.	पर्वतीय विकास मंत्री, उ० प्र०	सदस्य
4.	शहरी विकास मंत्री (शहर एवं ग्राम योजना) उ० प्र०	सदस्य
5.	वन मंत्री, उत्तर प्रदेश	सदस्य
6.	श्री अरुण सिंह प्रधान मंत्री के संसदीय सचिव	सदस्य
7.	मुख्य सचिव, उ० प्र०	सदस्य
8.	श्री ब्रह्म दत्त, संसद सदस्य	सदस्य
9.	सचिव, पर्यावरण विभाग	सदस्य
10.	सचिव, ग्रामीण विकास कृषि मंत्रालय	सदस्य
11.	महानिरीक्षक (वन)	सदस्य
12.	श्री गुलाबराय चन्दानी दून स्कूल, देहरादून	सदस्य
13.	श्री अवधेश कौशल अध्यक्ष, ग्रामीण मुकदमा एवं हकदारी केन्द्र, देहरादून।	सदस्य
14.	डा० एस० मुदगल	सदस्य सचिव

3. अध्यक्ष को आवश्यकता पड़ने पर अन्य सदस्यों को सहयोजित करने का अधिकार होगा।

4. गैर-सरकारी सदस्यों के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता बाह्य नियमों के अनुसार पर्यावरण विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

5. बोर्ड के कार्यकाल की अवधि तीन साल यानि, 31 मार्च 1988 तक बढ़ायी जाती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति अध्यक्ष तथा दून घाटी तथा गंगा और यमुना के सन्निकट जल संभरण क्षेत्रों के बोर्ड के सभी सदस्यों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प जन साधारण के सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

टी० एन० खुशू, सचिव,

महासागर विकास विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 1985

सं० डी०ओ०डी०/8-पी० सी०/6/84—भारत सरकार (पर्यावरण विभाग) के दिनांक 7-11-83 के संकल्प सं० जे०-20011/8/83-ई० एन०-1, जिसके द्वारा "विशेष रूप से तेल निस्सरण द्वारा होने वाले समुद्री प्रदूषण के नियंत्रण पर समिति" का गठन किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए राष्ट्रपति, उक्त समिति के गठन में निम्नलिखित के अनुसार परिवर्तन करते हैं :—

1.	सचिव, महासागर विकास विभाग	अध्यक्ष
2.	सचिव, पर्यावरण विभाग	सदस्य

3.	सचिव, पैट्रोलियम विभाग	सदस्य
4.	सचिव, कृषि मंत्रालय	सदस्य
5.	सचिव, निर्माण और आवास मंत्रालय	सदस्य
6.	सचिव, औद्योगिक विकास विभाग	सदस्य
7.	सचिव, रसायन एवं उर्वरक विभाग	सदस्य
8.	सचिव, जहाजरानी एवं परिवहन मंत्रालय	सदस्य
9.	महानिदेशक, जहाजरानी	सदस्य
10.	महानिदेशक, तटरक्षक	सदस्य
11.	भारत के 3 मुख्य तटवर्ती राज्यों—महाराष्ट्र, तमिल नाडु, पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि	सदस्य

2. समिति के कार्य से संबंधित सभी प्रासंगिक व्यय महासागर विकास विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।

3. दिनांक 7-11-1983 के संकल्प में उल्लिखित अन्य बातें वही रहेंगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति निम्नलिखित को सम्प्रेषित की जाए :—

1. समिति के सभी सदस्य।
2. मंत्रिमंडल सचिव (3 प्रतिलिपियां)।
3. संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार/आई० एफ० डी०/निदेशक (एफ०)।
4. महासागर सागर विकास विभाग के राज्य मंत्री।
5. प्रधान मंत्री का कार्यालय।

आई० जी० मिगरन, संयुक्त सचिव

PRESIDENTS SECRETARIAT

New Delhi, the 15th May 1985

No. 54-Pres|85.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Bihar Police :—

Name and rank of the officers

Shri Naresh Mohan Jha,
Sergeant of Police,
Police Lines, Patna.

Shri Arun Kumar Singh,
Sergeant of Police,
Police Lines, Patna.

Shri Surender Tiwary,
Havildar, Traffic Police,
Patna.

Statement of services for which the decoration has been awarder.

On the 24th April, 1984, while Shri Yogendra Prasad of Laxmi Commercial Bank, Exhibition Road Patna Town was taking stock of his account and the cash at his counter, an unknown person suddenly appeared before him and demanded the money at the point of a revolver. In the meantime, one Shri Shanti Kumar of M|s. Narendra Spares came to deposit a sum of Rs. 13,200|- in the Bank. The culprit snatched a sum of Rs. 19,676|- from the bank counter and Rs. 13,200|- from Shri Shanti Kumar and ran away brandishing his revolver. Three of his associates also run away. On hearing hue and cry, Shri Naresh Mohan Jha, Sergeant who had been to that side on his personal work alongwith his colleague Shri Arun Kumar Singh, Sergeant, gave a hot chase to the fleeing armed culprit. Shri Surendra Tiwary, Havildar, who was on traffic duty at that time was asked by the two Sergeants to follow them and assist them. The culprit threatened the police personnel by showing the revolver but they continued to pursue him. The culprit fired several times towards them but they escaped unhurt. Thereafter the culprit entered a multi-storeyed building which was under construction and again threatened the police personnel. The police personnel tactfully overpowered the culprit and disarmed him. Thereafter, the culprit was handed over to the Gandhi Maidan Police. One .12 bore gun with live cartridges, a loaded country made revolver, an ineffective bomb, a Lamby Scooter and the entire looted money was recovered from him.

Shri Naresh Mohan Jha, Sergeant of Police, Shri Arun Kumar Singh, Sergeant of Police and Shri Surendra Tiwary Havildar exhibited conspicuous gallantry courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 24th April, 1984.

No. 55-Pres|85.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to thhe undermentioned officer of the West Bengal Police :—

Name and rank of the officer

Shri Nidhir Kumar Pandey, *(Posthumous)*
Assistant Sub-Inspector of Police,
West Dinajpur, West Bengal.

Statement of services for which the decoration has been awarder.

On the 10th November, 1981, some ruffians of Balurghat who wanted to create chaos and confusion in the town to further their selfish interest, set up a road block near Gauri Furniture giving out a baseless rumour that a lady has been knocked down by a Police Jeep. The S.D.O., Balurghat and local police officers went to the spot to restore normalcy. They tried to persuade the mob to disperse but their efforts bore no fruit. The mob was declared unlawful. Thereafter, Shri Nidhir Kumar Pandey, Assistant Sub-Inspector alongwith a posse of policemen statrted removing the barricades. A ruffian weilding a chisel menacingly rushed upon the police party. Shri Pandey finding it not possible for his men to escape the attack, stopped the ruffian and tried to disarm him. The ruffian pounced on Shri Pandey and gave several blows on his chest with the chisel breaking his ribs and puncturing his lungs. He did not lose his nerve and overpowered the ruffian. Shri Pandey breathed his last four days later at Balurghat Hospital.

Shri Nidhir Kumar Pandey, Assistant Sub-Inspector, exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 10th November, 1981.

No. 56-Pres|85.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and rank of the officer

Shri Jaswant Singh, *(Posthumous)*
Constable No. 4153,
G.R.P., Moradabad.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 5th March, 1983, Shri Jaswant Singh, Constable and Shri Raj Kumar, Constable of GRP were on duty at Railway Station Ghaziabad. Two persons namely. Anil

Kumar and Sanjay Kumar residents of Vijai Nagar, Ghaziabad suddenly attacked Shri Abbas with hockey sticks at Railway Station, Ghaziabad. On hearing hue and cry, the Constables rushed to the place of occurrence and challenged the culprits. Finding an opportunity Shri Abbas slipped away from the spot but the culprits pursued and threatened him to kill. The unarmed Constables chased the culprits and Constable Jaswant Singh caughthold of the culprit Sanjay Kumar who shouted for help and asked his companion to kill the Constable. Shri Anil Kumar responded to the call and stabbed Shri Jaswant Singh in the stormach, who lost his grip on the accused Sanjay. In the meantime the other Constable Rajkumar reached there and overpowered the accused Sanjay Kumar. The other accused Anil Kumar managed to escape. Constable Jaswant Singh was removed to District Hospital, Ghaziabad and later to All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, where he breathed his last.

Shri Jaswant Singh, Constable, exhibited conspicuous gallantry, exemplary courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 5th March, 1983.

S. NILAKANTAN, Dy. Secy.
to the President

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(DEPARTMENT OF ENVIRONMENT)

New Delhi-110011, the 25th April 1985

RESOLUTION

Subject : Reconstitution of Board for Doon Valley and Adjacent Watershed Areas of Ganga and Yamuna.

No. L-14015/11/85-ENV.5.—In continuation to the constitution of the Board for Doon Valley and Adjacent Watershed Areas of Ganga and Yamuna, to study and review the developmental package and suggest guidelines for environmental management to achieve sustained development with minimal environmental degradation, constituted *vide* Resolution No. 2/19/81-HCT/Env. dated 4th August, 1981, the Board is being reconstituted with the following forms of Reference :—

(i) to study and review package of proposed developmental projects in this region and provide guidelines for environmental management so as to optimally utilise the regional resources;

(ii) evolve an effective implementation mechanism for executing mitigative/ameliorative measures for checking further environmental degradation and improving the environment;

(iii) guide the disposal of polluting industries and suggest incentives to attract non-polluting industries;

(iv) formulate and work out a clear cut strategy for sustained development of the Doon Valley as well as the Adjacent Watershed Areas; and

(v) any other matter which the Board may consider necessary for achieving sustained development with minimal environmental degradation.

2. The following shall be the composition of the Board :—

1. Shri Vir Sen
Minister of State for Environment

2. Shri B. B. Vohra, .. Member
Chairman, Advisory Board of Energy

3. Minister for Hill Development, U.P.

4. Minister for Urban Development (Town and Country Planning), U.P. Mmber

5. Minister for Forests, U.P. .. "

6. Shri Arun Singh, Parliamentary Secretary to the Prime Minister .. "

6. Shri Arun Singh, .. "

7. Chief Secretary, U.P. .. "

8. Sri Brahma Datta, M.P. .. "

9. Secretary, Department of Environment "

10. Secretary, Rural Development, Ministrry of Agriculture "

11. I.G. (Forests) .. "

12. Shri Gulab Ram Chandani, .. "
Doon School, Dehra Dun.

13. Shri Avadesh Kaushal, .. "
Chairman, Rural Litigation and Entitlement Kendra, Dehra Dun.

14. Dr. S. Maudgal .. Member-Secretary

3. The Chairman will have the authority to coopt other Members as and when necessary.

4. TA/DA, as per rules admissible, would be met by the Department of Environment for non-official members.

ORDER

5. The term of the Board is extended for a period of three years i.e. upto 31st March, 1988.

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and all other Members of the Board for Doon Valley and Adjacent Watershed Areas of Ganga and Yamuna.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

T. N. KHOSHOO, Secy.

DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT

New Delhi-110 003, the 30th April 1985

RESOLUTION

No. DOD/8-PC/6/84.—In partial modification of the Govt. of India (Department of Environment) Resolution No. 20011/8/83-EN.I dated 7-11-1983 constituting a *Committee on Control of Marine pollution, particularly by Oil Discharge,*" the President is pleased to change the composition of the Committee as follows :—

1. Secretary, Chairman
(DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT)

2. Secretary Member
Department of Environment

3. Secretary,
Department of Petroleum

4. Secretary,
Ministry of Agriculture

5. Secretary,
Ministry of Works & Housing

6. Secretary,
Department of Industrial Development

7. Secretary,
Department of Chemical & Fertilizers

8. Secretary,
Ministry of Shipping and Transport

9. Director General,
Shipping

10. Director General, Coast Guards	Member
11. Representives of 3 Major Maritime States of India—Maharashtra, Tamil Nadu, West Bengal.	Member

2. All expenditure in relation to the work of the Committee shall be borne by the Department of Ocean Development.

3. The other things mentioned in the Resolution dated 7-11-1983 remain unchanged.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to

(1) All Members of thhe Committee.
(2) Cabinet Secretary (3 copies).
(3) JS & FA|IFD||Director (N).
(4) Minister of State for Ocean Development.
(5) P.M.'s Office.

I. G. JHINGRAN, Jt Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1985